न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 88 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनिया
RAS

1 बी.के. शर्मा पुत्र जे.पी. शर्मा, जनरल मैनेजर श्री सीमेन्ट लि. राजि. ऑफिस बागड़ नगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1 बोदूराम पुत्र मांगुराम पौत्र परमा राम पड़पौत्र भींवा राम जाति जाट निवासी खदड़ों की ढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 04.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बामुकदमा बोदूराम बनाम बी.के. शर्मा मु. नं. 114 / 2013

उपस्थित

1. श्री अमित शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सतीशचन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–07.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 114/2013 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट प्रार्थी ने अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 515,516 खेदडो की ढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू को स्वंय की पैतृक भूमि बताकर भाई बंटवारे से कदीम से कब्जा काश्त बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने भूमि रिकार्डेड खातेदार से क्रय कर नामान्तकरण स्वयं के नाम करवा लिया है और रिकार्डेड खातेदार है रेस्पोडेंट अजनबी है विवादित भूमि से इसका कोई सम्बंध नही है विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना राजस्व कैम्प की आड़ में विचाराधीन निर्णय मनमर्जी से पारित किया है अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने वाद बाहुलयता नही होने को दृष्टिगत रखते हुये विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही की है अत अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाये विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

जमाबंदी ग्राम परसरामपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू संवत 2011 से 14 संवत 2025 से 28 प्रस्तुत कर विवादित भूमि में अपना विरासतन हक होना जाहिर किया एवं कथन किया कि यदि विचारण न्यायालय में मूल वाद के निर्णय से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा कायम नही रखी जाती है तो रेस्पोडेंट को अपूर्णीय क्षति होगी विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया है अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेंट विरासतन हक अधिकार की उद्घोषणा का वाद लेकर आया है जिसमें वादी के अधिकारों की घोषणा होना शेष है प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टतया मामला रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया जाता है यदि विचारण न्यायालय ने वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जाती है तो वाद बाहुलयता की सम्भावना रहती है विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में मानते हुये विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर